पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2061
दिनांक- 25.08.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

- **थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा इनामिया 01 शातिर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

थाना स्थानीय पर दिनांक 31.01.2024 को वादी मुकदमा श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री सहदेव प्रसाद सिंह की तहरीर के आधार पर इन्श्योरेन्स कम्पनी की सम्पत्ति भूखण्ड सं0 3/450 विश्वासखण्ड गोमतीनगर लखनऊ को हडपने के उद्देश्य से जाली प्रपत्र व फर्जी हस्ताक्षर बनाकर लीज डीड तैयार के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 0055/2024 धारा 419/420/467/468/471/120B भादवि0 थाना गोमतीनगर लखनऊ में पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे 10 हजार रूपये के इनामिया अभियुक्त अभियुक्त मन्नू सिंह उर्फ मुन्नू सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी मैथाना इन्दरसिंह थाना इन्चौली तहसील सरधना जनपद मेरठ उम्र लगभग 47 वर्ष को शिवाजी रोड पर सिम्को आटो सर्विस नियर कचहरी मेरठ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपने साथी सहअभियुक्तों के साथ मिलकर इन्श्योरेन्स कम्पनी की सम्पत्ति भूखण्ड सं0 3/450 विश्वासखण्ड गोमतीनगर लखनऊ को हडपने के उद्देश्य से जाली प्रपत्र व फर्जी हस्ताक्षर बनाकर लीज डीड तैयार की गयी थी।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- मन्नू सिंह उर्फ मुन्नू सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी मैथाना इन्दरसिंह थाना इन्चौली तहसील सरधना जनपद मेरठ उम्र लगभग 47 वर्ष

03-अनावरित अभियोग-

1- मु0अ0सं0 0055/2024 धारा 419/420/467/468/471/120B भादवि0 थाना गोमतीनगर लखनऊ।

04- आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 0475/2017 धारा 420/467/471 भादवि थाना सिविल लाइन्स मेरठ ।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री अमरनाथ चौरसिया
2- उ0नि0 श्री विजय प्रताप चौहान
3- उ0नि0 श्री पवन कुमार
4- का0 जीतेन्द्र कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2063

दिनांक-25.08.2025

जोन-मध्य/थाना हसनगंज

- **थाना हसनगंज पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 14.12.2024 को थाना स्थानीय पर वादी श्री प्रसिद्ध नारायण सिंह पशु पालन विभाग डायरेक्टर थाना हसनगंज लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया कि कुछ अज्ञात लोगो द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी को बंधक बनाकर दो मोबाइल, ब्रेसलेट तथा कमरे का ताला खोलकर दो ब्रीफकेस, एक ट्रालीबैग (ट्रालीबैग के अन्दर करीब दो लाख रूपये व जेवरात) जबरदस्ती लेकर चले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 159/2024 धारा 309(4)/331(4) बीएनएस विरूद्ध कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

थाना हसनगंज पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वारित कार्यवाही करते हुये मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त गुलफाम पुत्र स्व0 लल्ला निवासी-36/3 नई काशीराम कालोनी लौलाई थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र लगभग 35 को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया, दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/61(2) बीएनएस की गयी, गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये। मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त मुकदमें में अभियुक्तगण 01-रोहित यादव उर्फ नेपाली पुत्र प्रेमनाथ को दिनांक 24.01.2024 तथा 02-असफाक हुसैन पुत्र स्व0 अब्दुल हसन 03-तारिक महमूद पुत्र महफूज आलम 04-मो0 शीश उर्फ रिजवान पुत्र शेरखान 05-पवन जैसवार पुत्र श्री रूपलाल सिंह 06-उज्जवल सिंह पुत्र श्री कमलेश सिंह को दिनांक 24.12.2024 में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। एवं 07. समी अहमद उर्फ राजा पुत्र 08.अभिषेक सिंह पुत्र दिगेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 27.02.2025 को मा0न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. गुलफाम पुत्र स्व0 लल्ला निवासी-36/3 नई काशीराम कालोनी लौलाई थाना चिनहट लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष

03-अनावरित/पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 159/2024 धारा 309(4)/331(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना हसनगंज कमि0 लखनऊ

04-अभियुक्त गुलफाम का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 041/2014 धारा 379/411भादवि0 थाना थाना विभूतिखण्ड लखनऊ
2. मु0अ0सं0 0821/2015 धारा 380/457 भादवि0 थाना गोमतीनगर लखनऊ
3. मु0अ0सं0 1045/2015 धारा धारा 41/411/413 भादवि0 थाना गोमतीनगर लखनऊ
4 . मु0अ0सं0 372/2015 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना विभूतिखण्ड लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमर सिंह थाना हसनगंज कमि0 लखनऊ
2. उ0नि0 शिशिर कुमार सिंह थाना हसनगंज कमि0 लखनऊ
3. का0 शुभम मिश्रा थाना हसनगंज कमि0 लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2065
दिनांक-25.08.2025

जोन-मध्य/थाना-हुसैनगंज

- **आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 01 आरोपी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

थाना स्थानीय पर दिनांक 24.08.2025 को वादी श्री सतीश कुमार गुप्ता नि0 71/98 सुदामापुरी, चारबाग लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 114/2025 धारा 108/351(2)/352 बी0एन0एस0 बावत प्रतिवादीगण द्वारा वादी की पुत्री पूजा गुप्ता को मानसिक प्रताड़ित कर गाली- गलौज करना जिससे वादी की पुत्री द्वारा फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में बनाम 01. मोहित तिवारी पुत्र कन्हैया लाल तिवारी आदि 04 नफर के पंजीकृत कराया गया था।

मुकदमा उपरोक्त में नामित / वांछित अभियुक्त मोहित तिवारी पुत्र कन्हैया लाल तिवारी निवासी-71/93 सुदामापुरी चारबाग थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र- 22 वर्ष लगभग को थाना स्थानीय से टीम बनाकर टीम द्वारा गुप्ता तिराहा चारबाग पर बने सुलभ शौचालय थाना हुसैनगंज लखनऊ के सामने से दिनांक 25.08.2025 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकार आयोग के आदेशों / निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का तरीकाः-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री पूजा गुप्ता को मानसिक प्रताड़ित कर गाली- गलौज करना जिससे वादी की पुत्री द्वारा फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01-मोहित तिवारी पुत्र कन्हैया लाल तिवारी निवासी-71/93 सुदामापुरी चारबाग थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र- 22 वर्ष।

04-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 114/2025 धारा 108/351(2)/352 बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 वेद प्रकाश यादव थाना हुसैनगंज लखनऊ।
2. का0 नितेश पाल, थाना हुसैनगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2064
दिनांक-25.08.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने आरोपी किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 23.06.2025 को वादिनी मुकदमा (उम्र लगभग 17 वर्ष) के साथ विपक्षी द्वारा छेड़छाड़ गाली-गलौज के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 110/2025 धारा 74/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

प्रभारी निरीक्षक इटौंजा के निर्देशन मे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत एवं सार्थक प्रयास के उपरांत मुखबिर खास की सूचना पर अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित 01 नफर **अभियुक्त गिरधारी उर्फ छोटू पुत्र भुल्लन नि0 ग्राम बेलवा थाना इटौंजा लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष** को दिनांक 25.08.2025 को इटौंजा चौराहे के पास से पकड़ा गया।

अभियुक्त गिरधारी उर्फ छोटू उपरोक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ छेडछाड़ व गाली गलौज करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. गिरधारी उर्फ छोटू पुत्र भुल्लन नि0 ग्राम बेलवा थाना इटौजा जनपद लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष (व्यवसाय – मजदूरी)।

04-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 110/2025 धारा 74/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना इटौजा लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार भारती थाना इटौंजा लखनऊ
2. का0 फय्यूम थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2062
दिनांक 25.08.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

- **अपराध शाखा लखनऊ व थाना मडियांव की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर चोर / अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।**
- **सफेद धातु व पीली धातु के आभूषण, 01 अदद पीली धातु का टुकड़ा वजन 19.74 ग्राम व**
- **35,000/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा बरामद ।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 25.08.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित/ अभियुक्तगण की तलाश में चन्द्राढाल पर मामूर थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि कि कुछ लोग जो बन्द घरों में चोरी करते है चोरी के सामान के साथ मड़ियांव पुल के नीचे रेलवे लाइन के किनारे आटो रिक्शा में बैठे हुए है। मुखबिरखास की सूचना पर मुखबिरखास द्वारा बताये गये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम रहीमुद्दीन पुत्र शमसुद्दीन उम्र 23 वर्ष, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मोईनुद्दीन पुत्र शमसुद्दीन उम्र 28 वर्ष तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम वीरेन्द्र सोनी पुत्र रामकुमार सोनी उम्र 22 वर्ष बताया। जिनके कब्जे से 07 जोड़ी बिछिया सफेद धातु 02 जोड़ी बच्चो के हाथ का कड़ा सफेद धातु 05 जोड़ी पैरों के पायल सफेद धातु 10 अदद अंगुठी पीली धातु 03 अदद नाक की कील पीली धातु 03 अदद चैन पीली धातु, पीली धातु का टुकड़ा वजन 19.74 ग्राम व 35000/- रुपये नगद 01 अदद पेचकस व 01 अदद सब्बल बरामद हुआ।

बरामद सामान के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 464/25 धारा 331(4)/305ए बीएनएसएस, मु0अ0सं0 474/25 धारा 331(4)/305ए बीएनएसएस तथा मु0अ0सं0 65/25 धारा 305ए/331(3) बीएनएसएस पंजीकृत है एवं बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/317(4) बीएनएसएस की बढोत्तरी की गयी।

पकड़े गये व्यक्तियों को उनके द्वारा कारित जुर्म व जुर्म धारा 305(a)/331(4)/331(3)/317(2)/317(4) बीएनएसएस से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया तथा **घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा UP32XN1090 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।**

दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है ।

02-अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्तगण द्वारा बन्द मकानों का ताला तोड़कर सोने चाँदी के आभुषण चोरी करना तथा ज्वैलर्स की दुकान पर बेच देना जो पैसा मिलता उससे अपना जीवन यापन करना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. रहीमुद्दीन पुत्र शमसुद्दीन मूलपता नानागंज ग्रेन्ड झाला देहात कोतवाली जिला हरदोई हालपता म0नं0 16/17 बसंतकुंज कालोनी थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 23 वर्ष (व्यवसाय – डाला चालक)
2. मोईनुद्दीन पुत्र शमसुद्दीन निवासी मूलपता नानागंज ग्रेन्ड झाला देहात कोतवाली जिला हरदोई हालपता न्यू फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज जिला लखनऊ उम्र 28 वर्ष (व्यवसाय –ई रिक्शा चालक)
3. वीरेन्द्र सोनी पुत्र रामकुमार सोनी निवासी वगडवा बाजार थाना हुजुरपुर जिला बहराईच उम्र 22 वर्ष (व्यवसाय – ज्वैलर्स की दुकान)

04-बरामदगी:-

- 07 जोड़ी बिछिया सफेद धातु
- 02 जोड़ी बच्चो के हाथ का कड़ा सफेद धातु
- 05 जोड़ी पैरों के पायल सफेद धातु
- 10 अदद अंगुठी पीली धातु
- 03 अदद नाक की कील पीली धातु
- 03 अदद चैन पीली धातु
- पीली धातु का टुकड़ा वजन 19.74 ग्राम
- 35,000/- रुपये नगद
- 01 अदद पेचकस व 01 अदद सब्बल
- घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा UP32XN1090 **अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज**

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

अपराध शाखा लखनऊ टीम	**थाना मड़ियांव**
1. उ0नि0 श्री आशुतोष पाण्डेय	**1.** उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री प्रकाश सिंह	**2.** उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 श्री मुहम्मद असलम	**3.** उ0नि0 श्री अमित कुमार साहू
4. हे0का0 अतुल कुमार पाण्डेय	**4.** उ0नि0 श्री जोशी रघुवंशी
5. हे0का0 इंद्रप्रताप सिंह	**5.** हे0का0 आकाश सिंह
6. हे0का0 मनोज कुमार शुक्ला	**6.** हे0का0 दुर्गेश सिंह
7. हे0का0 हबीब खान	**7.** हे0का0 गौरव कुमार सिंह
8. हे0का0 अमित कुशवाहा	**8.** हे0का0 कमलेश कुमार वर्मा
9. हे0का0 दिलीप कुमार	**9.** हे0का0 सौरभ यादव
10.हे0का0 जीत सिंह	**10.**का0 अखिलेश वर्मा
11.हे0का0 धीरज	
12.हे0का0 पवन	
13.का0 देशराज मुखिया	
14.का0 नाहर सिंह	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2060

दिनांक-25.08.2025

लखनऊ कमिश्नरेट के अन्तर्गत थाना- दुबग्गा क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

मा0न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 153(25)/2025 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित **विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन कमिश्नरेट लखनऊ श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुये विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक 25.08.2025 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0 सं0	वाद सं0	नाम पता विपक्षी	आपराधिक इतिहास				जिलाबदर की अवधि
				क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
दुबग्गा	1	153(25)/2025	विवेक यादव उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र स्व0 भोला सिंह निवासी ग्राम टाँड खेड़ा मजरा जेहटा थाना दुबग्गा, लखनऊ।	1	208/2022	323/504/506 IPC	काकोरी	06 माह
				2	373/2023	307/427/34 IPC	दुबग्गा	
				3	430/2023	504/506 IPC व 3(1) द,ध SC ST Act	दुबग्गा	
				4	38/2024	323/386/504/506 IPC व 3(2)v SC ST Act	माल	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2068
दिनांक- 25.08.2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **आपरेशन क्लीन के तहत थाना ठाकुरगंज में 31 गाडियों की नीलामी करायी गयी ।**
- **सहायक पुलिस आयुक्त चौक के नेतृत्व में एसएचओ ठाकुरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 25.08.2025 को थाना परिसर में लम्बे समय से दाखिल लावारिस 30 अदद वाहन दो पहिया व एक अदद ई-रिक्सा की नियमानुसार मा0न्यायालय स्पे0एसीजेएम सीबीआई एपी महोदय के आदेशानुसार व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के पत्रांक वाचक/जेसीपी(अ0 एवं मु0)-13/23 दिनांक जुलाई 28, 2023 के क्रम में गठित कमेटी 1.सहायक पुलिस आयुक्त चौक 2. प्रभारी निरीक्षक थाना ठाकुरगंज एवं मालखाना मोहर्रिर थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा नियमानुसार पेपर में गजट कराते हुए आज दिनांक 25.08.2025 को नीलामी हेतु नियत की गई थी जिस पर व्यापारी 1. शाहिद अली पुत्र जमालुद्दीन नि0- प्रगति विहार घैला थाना मडियांव लखनऊ, 2. आकाश तिवारी पुत्र भुवनेश्वर तिवारी नि0- पाण्डेयगंज थाना शुक्लबाजार जनपद अमेठी, 3. दिनेशचन्द्र गुप्ता पुत्र द्वारिकाप्रसाद नि0- फैजुल्लागंज -2 गौरभीठ पुरनिया लखनऊ, 4.मुबारक अली पुत्र हसन अली नि0- तकिया पीर जलील थाना कैसरबाग लखनऊ, 5.मो0 रईस सिद्दीकि पुत्र लालू सिद्दीकि नि0- फरीदीपुर थाना ठाकुरंगज लखनऊ सम्मिलित हुए ।

समक्ष सहायक पुलिस आयुक्त चौक, प्र0नि0 ठाकुरगंज व अन्य मौजूद अधिकारी/कर्मचारीगण के समक्ष वाहनों की बोली 12 PM से 01 PM के मध्य 31 अदद वाहनों के लाट की बोली 68,400/- रूपये से शुरू होकर 85,000/- रूपये पर मो0 रईस सिद्दीकि पुत्र लालू सिद्दीकि फरीदीपुर थाना ठाकुरंगज लखनऊ के हक में समाप्त हुई । उक्त नीलामी के संबंध में बकाया पैसा प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वाहन मो0 रईस सिद्दीकि उपरोक्त को उपलब्ध कराये जाएगें । तथा नीलामी में प्राप्त उक्त वाहनों का धन कोषागार में जमा कराया जाएगा ।

02.नीलामी का विवरण-

दिनांक 25.08.2025 को 12 PM से 01 PM के मध्य 31 अदद वाहनों के लाट की बोली 68,400/- रूपये से शुरू होकर 85,000/- रूपये पर मो0 रईस सिद्दीकि पुत्र लालू सिद्दीकि फरीदीपुर थाना ठाकुरंगज लखनऊ के हक में समाप्त हुई।

03.नीलामी की कार्यवाही में लगे पुलिस बल का नाम-

01. श्री राजकुमार सिंह, एसीपी चौक कमि0 लखनऊ

02. श्री ओमवीर सिंह चौहान, प्रभारी निरीक्षक थाना ठाकुरगंज लखनऊ

03. श्री प्रदीप कुमार यादव, निरीक्षक थाना ठाकुरगंज लखनऊ

04. श्री शहंशाह हुसैन, निरीक्षक थाना ठाकुरगंज लखनऊ

05. हे0का0 मो0 आलम, प्रभारी मालखाना थाना ठाकुरगंज लखनऊ